



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221842
CG-DL-E-19092020-221842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]
No. 370]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर 2020

फा.सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/19ईआरडीएमपी/(1)/2020.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) विनियम, 2010 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा:-
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) विनियम, 2010 में:

(1) विनियम 2 में,

- i. खंड (च) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः:-

“आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में होने वाले विनाश, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है, या दुर्घटना या लापरवाही से होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की पर्याप्त

हानि होती है या मानव पीड़ा या क्षति, और संपत्ति का विनाश, या क्षति, या पर्यावरण का क्षरण, या ऐसी प्रकृति या परिमाण की, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो।”;

- ii. खंड (ठ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः - “घटना रिकॉर्डिंग प्रणाली” का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें बाल बाल बचने वाली घटना सहित समस्त घटनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है।”;
- iii. खंड (ड) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः - “रिसाव” का अर्थ है किसी खतरनाक रसायन (रसायनों) या पदार्थों या सामग्री को किसी भी अवस्था में पर्यावरण में छोड़ना।”;
- iv. खंड (द) में “संघ” शब्द “समूह” शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा और “संघ” शब्द “अनुबंध” शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा।
- v. “खंड (न) में “स्थापना में” शब्दों के पश्चात “अथवा स्थल” शब्द सम्मिलित होंगे।
- vi. खंड (फ) में “स्थापना में हुई” शब्दों के पश्चात, “अथवा स्थल” शब्द सम्मिलित होंगे।
- vii. खंड (ब) में “स्थापनाओं के अंदर” शब्दों के पश्चात और “स्थापना परिसरो” शब्दों के पश्चात “अथवा स्थलों” शब्द सम्मिलित होंगे।
- viii. खंड (य) में “मात्रात्मक” शब्द का लोप हो जाएगा।
- ix. खंड (र) में “आपातकाल के जोखिम” शब्दों के लिए “अवांछित घटना के जोखिम को नियंत्रण में रखना अथवा” शब्दों प्रतिस्थापित होंगे।
- x. खंड (व) में “खतरनाक” शब्द “संकटमय” शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा।
- xi. खंड (श) में “दूरभाष संख्या” शब्दों से पूर्व “आपातकालीन” शब्द सम्मिलित होगा।
- xii. खंड (ष) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिलित होगा, नामतः: “(स) “परियोजना प्रभारी” का अर्थ है एक व्यक्ति जिसका परियोजना के मामलों पर अंतिम नियंत्रण होता है और कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत है।”

(2) विनियम 3 में,

- i. खंड (ग) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः: - “पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन;”
- ii. खंड (घ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः: - “पीओएल डिपो, प्रतिष्ठानों और टर्मिनलों सहित पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं;”
- iii. खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिलित होगा, नामतः - “(घ क) एलएनजी टर्मिनलों सहित प्राकृतिक गैस भंडारण की सुविधाएं।”
- iv. खंड (छ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः :- “पेट्रोलियम, ऑटो एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी आदि जैसे का वितरण करने वाले खुदरा बिक्री केंद्र और अन्य खुदरा बिक्री केंद्रों ”
- v. खंड (ज) में “पेट्रोलियम उत्पाद” शब्दों के पश्चात “एलएनजी, सीएनजी आदि” शब्द सम्मिलित होंगे।

(3) विनियम 4.0 में,

(1) उप-विनियम 4.1 में,

- i. खंड (i) के लिए, “आपात स्थिति”, शब्द “संभावित आपातकालीन परिदृश्यों” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- ii. खंड (ii) के लिए, “जोखिम या आपदा, शब्द “इसे एएलएआरपी स्तर में लाकर लोगों, परिसंपत्तियों और पर्यावरण पर प्रभाव” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- iii. खंड (iii) के लिए, “विकसित की जाएं” शब्द का लोप हो जाएगा और “योजनाएं” शब्द से पहले, “आपातकालीन स्थिति की” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- iv. खंड (iv) के लिए, “(प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक)” शब्दों का लोप हो जाएगा;
- v. खंड (v) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः: - “घटना/दुर्घटना/आपदा के पश्चात अपनी मूल स्थितियों को संभव सीमा तक बहाल करने के उद्देश्य से घटना या दुर्घटना या आपदा का उद्धार;

(2) उप-विनियम 4.2 के लिए,

- i. "इनका उद्देश्य निम्नलिखित विनियम लागू करना है" पैराग्राफ (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।
- ii. खंड (क) और (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः - "(क) आपातकालीन स्थिति को यथाशीघ्र कम करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए एक संक्षिप्त और सूचनापरक ईआरडीएमपी विकसित करने के लिए; (ख) घटना की वृद्धि को ऑन-साइट और ऑफ-साइट दोनों पर रोकने के लिए- ; (ग) लोगों पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए; (घ) संपत्ति, मशीनरी और पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए; (ङ) किसी आपातस्थिति के लिए त्वरित और क्रमबद्ध प्रतिक्रिया के लिए तत्परता की स्थिति विकसित करना और जोखिम के साथ उच्चस्तरीय तैयारियों (उपकरण, कार्मिक) की स्थापना करना; (च) स्पष्ट उद्देश्यों और प्राधिकारों की लाइनों (घटना कमान प्रणाली, क्षेत्र पर्यवेक्षण, एकीकृत कमान) के साथ एक घटना प्रबंधन अंग प्रदान करने के लिए; (छ) एक व्यवस्थित और समय पर निर्णय लेने और प्रतिक्रिया प्रक्रिया (अधिसूचना, मानक संचालन प्रक्रिया) सुनिश्चित करने के लिए; और (ज) अच्छे सार्वजनिक संबंध बनाए रखने के लिए;"

iii. "टिप्पणियाँ" शीर्षक में पैराग्राफ को क्रमांक (2) दिया जाएगा और पैराग्राफ (2) में "होंगे" (shall) शब्द "होंगे" (will) शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा और "संसाधनों" शब्द के पश्चात "अधिमानतः" शब्द सम्मिलित किया जाएगा और तत्पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः:

"बशर्ते की क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नगर गैस वितरण नेटवर्कों, खुदरा बिक्री केंद्रों और सड़क परिवहन के मामले में ईआरडीएमपी के सूत्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यप्रणाली को अपनाया जा सकता है, नामतः:-

क. कंपनी को क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का एक एकल ईआरडीएमपी अभिलेख तैयार करे। तथापि अभिलेख में स्थान/स्थापना विशिष्ट जानकारी संबद्ध विनियम के अनुसार विस्तृत होगी। कंपनी वैकल्पिक रूप से ईआरडीएमपी अभिलेख को स्थापना/स्थानवार भी बना सकती है।

ख. नगर गैस वितरण कंपनी अपने भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक एकल ईआरडीएमपी अभिलेख तैयार कर सकती है। हालाँकि, सीएनजी स्टेशनों, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक आपूर्ति के संदर्भ में विशिष्ट सूचना और शमन उपायों के विवरण संबद्ध विनियम के अनुसार अभिलेख में दिए जाएंगे।

ग. खुदरा बिक्री केंद्रों की स्वामी कंपनियाँ अपने खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए विभिन्न प्रारूपों (यथा एलपीजी के साथ खुदरा बिक्री केंद्र, एलपीजी के बिना खुदरा बिक्री केंद्र, नगरों में खुदरा बिक्री केंद्र, राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केंद्र या दो या अधिक आदि का संयोजन या समान प्रकार के अन्य यंत्र) की पहचान करेंगी और एक ही प्रारूप के सभी खुदरा बिक्री केंद्रों के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करने के लिए इन विनियमों के अनुसार विशिष्ट ईआरडीएमपी तैयार करें। ये अभिलेख संबंधित कंपनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे; और

घ. सड़क परिवहन के लिए कंपनी मार्गों की पहचान करेगी, विशिष्ट ईआरडीएमपी तैयार करेगी और संगत विनियमों के अनुरूप उसे विभिन्न हितधारकों के साथ साझा करेगी।"

(3) कंपनी परियोजना प्रभारियों द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों (अनुबंध 2 देखें) के अनुसार निर्माण या परियोजनाओं के लिए आपातकालीन योजना तैयार करेगी। हालाँकि, विद्यमान प्रतिष्ठानों के निर्माणों या परियोजनाओं के मामले में वर्तमान ईआरडीएमपी अभिलेख को कवर किया जाए या अनुबंध 2 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।"

(4) विनियम 8 में,

- i. उप-खंड (1) के लिए "प्रणाली होनी चाहिए।" शब्दों के पश्चात " स्थापना में प्रवेश करने." शब्दों से आरंभ होने और " संयंत्र का कोई प्रतिनिधि हो" शब्दों से समाप्त होने वाले पैराग्राफ का लोप हो जाएगा;

- ii. उप-खंड (4) का लोप हो जाएगा;
- iii. उप-खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः - "(1 क) संबंधित कंपनी का बोर्ड इन विनियमों के प्रभावी होने के नब्बे दिनों के अंदर अपने निदेशकों में से एक को नियुक्त करेगा जो इन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।"
- iv. उप-खंड (2) में "सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों" शब्दों का लोप हो जाएगा;
- v. उप-खंड (3) के लिए "सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के प्रावधानों के अंतर्गत" शब्दों के लिए "पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 का" शब्द प्रतिस्थापित होंगे;
- (5) विनियम 10 में,
- (1) उप-विनियम 10.1 में;
- i. खंड (1)(घ) में, "जांच बिंदुओं" शब्दों से पहले "संदर्भ" शब्द सम्मिलित होगा;
- (2) उप-विनियम 10.2 में,
- i. "ईआरडीएमपी प्रक्रिया का" से आरंभ होने वाले शब्द और "जोखिम का पता लगाना है।" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः - "दूसरा कदम प्रत्येक खतरे से जुड़ी एक घटना के जोखिम को निर्धारित करना है। आपात- कालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए परिदृश्यों के उच्च जोखिम की पहचान करने के लिए जोखिम विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। जोखिम विश्लेषण खतरनाक घटनाओं को रोकने और कम करने के लिए और यथोचित व्यावहारिक रूप से कम जोखिम को कम करने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपायों की पहचान में भी सहायता करेगा।"
- ii. (घ) खंड में, "खतरों" शब्द 'जोखिम' शब्द से प्रतिस्थापित होगा और "रूप" शब्द "तरीका" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा और "... मानक" से आरंभ होने वाले शब्दों और "स्वीकार्य ..." से समाप्त होने वाले शब्दों का लोप हो जाएगा।
- iii. खंड (ड) का लोप हो जाएगा।
- iv. खंड (च) में "में तीन प्रमुख उपाय शामिल होने चाहिए" शब्द "नीचे के रूप में तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए" द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।
- (3) उप-विनियम 10.3 में,
- i. "प्राकृतिक आपदाएँ" शीर्षक वाले कॉलम में "सुनामी" शब्द के पश्चात "महामारी" शब्द सम्मिलित होगा।
- ii. "बाहरी" शीर्षक वाले कॉलम में "बाढ़ विषाक्तता/जल विषाक्तता" के पश्चात निम्नलिखित शब्द सम्मिलित होंगे, नामतः- "ड्रोन आक्रमण"; "सायबर आक्रमण"
- (4) उप-विनियम 10.4 में खंड (2) में "यूवीसीई" शब्दों के स्थान पर "वीसीई, विषाक्त रिलीज़, बॉल ओवर आदि" प्रतिस्थापित होगा।
- (6) विनियम 11 में,
- (1) उप-विनियम 11.2 में,
- i. "और उपकरणों" शब्दों के पश्चात, "अस्थायी आश्रयों" शब्द सम्मिलित होंगे;
- (2) उप-विनियम 11.3 में,
- (क) "घटना निवारक उपाय और प्रक्रियाएं" शीर्षक को "स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन" द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- (ख) "स्थापना या अन्य स्थलों पर" से आरंभ होने वाले शब्द और ".....निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:-" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः - "कंपनी के संचालन और आपात स्थिति के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली होगी और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः -";
- (ग) खंड (ii) में कोष्ठकों और उसके अंदर के शब्दों का लोप हो जाएगा;

- (घ) खंड (iii) में "संघ के नेताओं और" शब्दों का लोप हो जाएगा;
- (ङ) खंड (v) में कोष्ठकों और उसके अंदर के शब्दों का लोप हो जाएगा;
- (च) खंड (vi) में "ताप का पता लगाना" शब्द "ताप/धूम्र का पता लगाना" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे", और "भराई स्टेशन" शब्दों के पश्चात "और" शब्द सम्मिलित किया जाएगा और तत्पश्चात "तथा उसके आसपास" शब्दों का लोप हो जाएगा।
- (छ) खंड (viii) में "और एचएसई प्रबंधन प्रणाली" शब्दों का लोप हो जाएगा;
- (ज) खंड (ix) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः - "एकत्रित होने के स्थानों और भागने के मार्गों सहित और अन्य बिंदुओं व मार्गों के समान आपातकाल के मामले में आगंतुक सुरक्षा ब्रीफिंग, क्या करें और क्या न करें"
- (7) विनियम 12.0 में,
- (1) उप-विनियम खंड 12.1 में,
- i. खंड (ख) में,
- (क) "सीमित पैमाने पर" शब्दों के पश्चात, "कार्यात्मक" शब्द सम्मिलित होगा;
- (ख) "इस्तेमाल किया है" शब्दों के पश्चात "जाना चाहिए" शब्द "जाए" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- (ग) "अपने" शब्द "उनका" द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- ii. खंड (घ) में "दलों" शब्द "सेवाओं" द्वारा प्रतिस्थापित होगा और "समूहों" शब्द "सदस्य या समूहों" द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- iii. खंड (ङ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः - "ऑन-साइट (स्तर- I / II) और ऑफ-साइट (स्तर-III) अनुबंध-III में दिए गए कृत्रिम ड्रिल फॉर्मेट आपातकालीन के लिए कृत्रिम ड्रिल के अनुसार क्रमशः तीन महीने और बारह महीने में एक बार किया जाएगा। एक वर्ष के दौरान इकाई द्वितीय स्तर के कम से कम एक ऑन-साइट आपातकालीन अभ्यास का आयोजन करेगी।";
- iv. खंड (च) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः - "यह संबंधित ज़िला प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह खतरनाक रसायन निर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार उस स्थल पर संभावित बड़ी दुर्घटना से संबंधित आपातस्थितियों से निपटने और तैयारी करने के लिए एक पर्याप्त ऑफ साइट आपातकालीन योजना तैयार करे। तदनुसार कंपनी संबंधित जिला प्राधिकारी को ऑफ साइट-कृत्रिम ड्रिल आयोजित करने के लिए विवरण प्रस्तुत करेगी। एक से अधिक उद्योग के सदस्यों वाले स्थानों के लिए ऑफ-साइट आपातकालीन (स्तर III) अभ्यास जिला प्राधिकरण के समन्वय में बारी-बारी से एक उद्योग के सदस्य द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार स्थान पर प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम एक बार ऑफ-साइट आपात- कालीन (स्तर III) का अभ्यास किया जाना सुनिश्चित करता है"
- v. खंड (ज) में अंत में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे, नामतः : "तदनुसार सुधारों के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए।"
- vi. खंड (झ) में अंत में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः - "विशिष्ट कृत्रिम ड्रिल रिपोर्टिंग प्रपत्र अनुबंध- 3 में दिया गया है।"
- (2) उप विनियम 12.2 में,
- i. खंड 2 (i) में "प्रशिक्षण" शब्दों के पश्चात "आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया" सम्मिलित होगा।;
- ii. खंड 2 (ii) में, "सुरक्षा प्रशिक्षण" शब्द निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :- "स्थल पर तैनाती से पूर्व वैध सुरक्षा प्रशिक्षण और इसके अतिरिक्त समय-समय पर संविदा कर्मियों और श्रमिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।"

(3) उप-विनियम 12.3 के लिए,

- i. "चूंकि बड़ी आपात स्थिति" शब्दों से आरंभ होने वाले और "विचार किया जाना चाहिए" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :- "प्रमुख आपातस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एकल इकाई/सुविधा/कंपनी/स्थल की क्षमता से परे हो सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी उद्योगों के साथ परस्परिक सहायता समझौता हो। परस्परिक सहायता समझौते तैयार करते समय निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा:-";
- ii. खंड (क) में "स्तर-II" शब्दों के पश्चात "और स्तर-III" शब्द सम्मिलित किए जाएंगे।

(8) विनियम 13.0 में खंड (क) (iii) का लोप हो जाएगा;

(9) विनियम 14.0 में,

- i. खंड (1) के लिए "संगठन" शब्द "कार्मिक या समूह" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- ii. खंड (2)(क) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः: "घटना से पूर्व, पश्चात और के दौरान तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए।"
- iii. खंड (2)(ड) के लिए "समारोह" शब्द "भूमिका" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा;

(10) उप-विनियम 14.2 में,

(1) शीर्षक "भूमिका और उत्तरदायित्व" को "विशिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा;

(2) उप-विनियम 14.2.1 में,

- i. "परंतु तक सीमित नहीं है" शब्द "शामिल होंगे" शब्दों के पश्चात सम्मिलित होंगे;
- ii. खंड (ड) में, "अस्पताल" शब्द के पश्चात "एसआईसी" शब्द सम्मिलित होगा;

(3) उप-विनियम 14.2.2 में,

- i. "मुख्य" शब्द "स्थल" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा और "शामिल होंगे", के पश्चात "परंतु तक सीमित नहीं" शब्द सम्मिलित होंगे;
- ii. खंड (ख) में "लेने", शब्द को "समर्थ का अधिकार" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और "संभालने" शब्दों को "ले सकने" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- iii. खंड (घ) में, "एसआईसी", शब्दों से पूर्व "सीआईसी या" शब्द सम्मिलित होंगे और "अधिसूचित हैं" शब्द "अधिसूचना के लिए" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा; और "सीआईसी से" शब्दों के पश्चात "यदि लागू हो" शब्द सम्मिलित होंगे;
- iv. खंड (ड) में "वह" शब्द "एसआईसी" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा,
- v. खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिलित होगा, नामतः: "(ज) एसआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सभी कर्मी आपातकाल के दौरान सौंपी गई भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित हों।"

(4) विनियम 14.2.3 में,

- i. "नियंत्रक" शब्द "समन्वयक" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- ii. खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः: - "बाह्य एजेंसियों के एसआईसी में आने पर निर्देशित करने के लिए।";

(5) उप विनियम 14.2.4 के लिए;

- i. खंड (ड) में "निर्देश देना" शब्द "बाह्य मार्गदर्शन" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- ii. खंड (च) का लोप हो जाएगा।
- iii. खंड (छ) में "बाहरी" शब्द "बाह्य" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- iv. खंड (झ) का लोप हो जाएगा;

- v. खंड (ज) में "ट्रकों" शब्द "वाहनों" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा;
- vi. खंड (ठ) में "हाइड्रेंट", शब्द "अग्नि जल" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।
- vii. खंड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिलित होगा, नामतः:- "(ड) पारस्परिक सहायता जुटाने पर सीआईसी को सलाह देने और पारस्परिक सहायता के सदस्यों से सहायता सहित अतिरिक्त अग्निशमन संसाधनों की आवश्यकता की व्यवस्था करने के लिए";
- (6) उप-विनियम 14.2.5.6 (क) में,
- i. शीर्षक में "ईआरडीएमपी" शब्द के लिए "घटना" शब्द प्रतिस्थापित होगा;
- ii. "किसी भी प्रकार की आपातस्थिति" शब्दों से आरंभ होने वाले और "रिकार्ड रखे जाएंगे।" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः:- "बाल बाल बचने वाली घटना सहित समस्त प्रकार की घटनाओं या आपातस्थितियों का अभिलेख रखने के लिए एक प्रणाली होगी।
- iii. "अभिलेख रजिस्टर" शब्द "अभिलेखन प्रणाली" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।
- iv. टिप्पणी में "योजना मे..." शब्द के पश्चात "ऑफ-साइट" शब्दों सम्मिलित होंगे।
- (7) उप विनियम 14.2.5.8 में खंड 2 (ग) के लिए "नियंत्रण कक्ष" शब्दों का लोप हो जाएगा;
- (8) उप विनियम 14.2.5.9 के लिए,
- (1) खंड 2 (क) और (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः:- "(क) आपातकालीन स्तर I – स्तर I के लिए सायरन कोड का निर्णय प्रतिष्ठान के आकार और जटिलता को ध्यान में रखते हुए कंपनी के आधार पर होगा;
- (ख) आपातकालीन स्तर II - दो मिनट के लिए एक साँय साँय सायरन"; और
- "(ग) आपातस्थिति स्तर-III – स्तर-II के मामले में समान प्रकार का सायरन परंतु एक मिनट के अंतराल पर तीन बार बजाया जाएगा अर्थात (प्रतीक्षा सायरन 2 मिनट+ अंतराल 1 मिनट + सायरन 2 मिनट +अंतराल 1 मिनट + सायरन 2) को प्रतीक्षा सायरन बजाने की कुल अवधि आठ मिनट होगी।";
- (11) विनियम 15.0 में;
- (1) उप-विनियम 15.1 के लिए,;
- i. खंड 2 (छ) में "आपात लाइटें" शब्द "आपात पावर बैकअप और डीसी स्रोत के साथ आपात लाइट" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- (2) उप-विनियम 15.2 के लिए;
- i. खंड (1) में "मात्रात्मक जोखिम आकलन" शब्दों को "प्रमुख परिदृश्यों के परिणाम विश्लेषण" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (12) विनियम 16.0 में:
- i. खंड (2) में "सुरक्षा" शब्द के लिए "जब कोई संचालन कर्मी उपस्थित नहीं होता है तो सुरक्षा या अन्य प्रशिक्षित" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होगा और "नियंत्रकों" शब्द के पश्चात "या समन्वयक" शब्द सम्मिलित होंगे। खंड (3) में, "आपात स्थिति" शब्द "स्थिति" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा और "संयंत्र परिसर" शब्द "एक स्थापना या साइट" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।
- (13) विनियम 17.0 में:
- i. खंड (2) (ख) में "अग्नि सुरक्षा" शब्दों के पश्चात "और अग्निशमन" शब्द सम्मिलित होंगे;
- ii. खंड (2) (ग) का लोप हो जाएगा;

- iii. खंड (2) (च) में "चौबीस घंटे" से आरंभ होने वाले और "उपलब्ध होना चाहिए" से समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः:- "प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं, या पास के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र के साथ टाई-अप"

(14) विनियम 18.0 के लिए;

- i. बिंदु (क) में उल्लिखित "5 किमी के दायरे में" शब्द "2 किमी के व्यास या परिणामों के विश्लेषण के अनुसार, जो भी अधिक हो" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- ii. बिंदु (ग) के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः: "(ग1) पड़ोसी उद्योग, प्रतिष्ठान, पाइपलाइनों आदि"

(15) विनियम 20.0 में खंड (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः:-

"आपातस्थिति के मामले में स्थापना की आवश्यकतओं के अनुरूप सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या पोर्टेबल उद्घोषणा प्रणाली या मेगा फोन मोबाइल वाहन वाले वाहन उद्घोषणा के लिए उपलब्ध रहने चाहिए।"

(16) विनियम 21.0 में, खंड (2) "इस उद्देश्य के लिए" शब्दों से आरंभ होने वाले और "समूह को दिए जाने चाहिए" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप हो जाएगा और "प्रदर्श" शब्द "युक्त" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

(17) विनियम 23.0 में,

- i. खंड (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः:- "छोटी और बाल बाल बचने वाली समस्त घटनाओं को कंपनी द्वारा अनुसूची-VI में निर्दिष्ट प्रारूप में निरीक्षण के लिए रखा जाए। "प्रमुख" हादसे को बोर्ड को अनुसूची-VI पर रखे हुए विनिर्दिष्ट प्रारूप में सूचित किया जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट उनके घटित होने के 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि 'प्रमुख' हादसे पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को दूरभाष, ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से बोर्ड को तत्काल अथवा घटना घटित होने के चार 4 घंटे के अंदर सूचित किया जाएगा।"

ii. (ख) खंड (2) में,

- (क) "सभी प्रमुख घटनाओं" से आरंभ होने वाले और "प्रस्तुत की जाएगी" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप हो जाएगा;
- (ख) बिंदु (घ) में "10.0 लाख रुपये" शब्द को "रुपये 20.0 लाख" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे;
- (ग) बिंदु (छ) का लोप हो जाएगा;

iii. खंड (2) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, नामतः: "(3) सभी 'प्रमुख' घटनाओं की विस्तृत जाँच रिपोर्ट जाँच के दौरान की गई संस्तुतियों के समयबद्ध शमन योजना के साथ होने के 30 दिनों के अंदर बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। किसी घटना में तत्पश्चात घातक हानि होने के मामले में अनुमानित हानि रुपये 20 लाख से अधिक और संचयी मानव घंटे 500 से अधिक घंटे की हानि होने पर इस प्रकार की घटनाओं को अनुसूची-VI में दिए गए निर्धारित प्रारूप में तुरंत प्रमुख घटनाओं के रूप में भी सूचित किया जाएगा।

(4) प्रमुख (विस्तृत जाँच रिपोर्ट सहित) और छोटी घटनाओं का सारांश और बाल बाल बचने वाली घटनाओं (केवल संख्या) की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के अंदर बोर्ड को भेजी जाएगी।

(18) विनियम 24.0 में,

(क) "बोर्ड को घटना की" से आरंभ होने वाले शब्दों और "स्तर पर समन्वय करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले को उसके खंड (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा;

(ख) खंड 1, जैसा कि क्रमांकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, नामतः :-

"(2) चूको, कमियों का पता लगाने, विफलताओं के कारणों का पता लगाने और इस प्रकार की घटनाओं आदि की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी प्रमुख घटनाओं की जाँच कंपनी द्वारा एक जाँच समिति के माध्यम से करवाई जाएगी जिसमें ऐसे विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जो इस घटना से

प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हों तथा घटना के 30 दिन के अंदर समिति की रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

- (3) निम्नलिखित घटनाओं की इस प्रकार की जांच बोर्ड द्वारा गठित एक जांच समिति द्वारा भी की जाएगी:-
- क .धमाका या विस्फोट;
 - ख .घातक या प्रमुख अग्नि दुर्घटनाएं;
 - ग .बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद या स पाइपलाइनों में पाइपलाइन रिसाव; तथा
 - घ .बोर्ड द्वारा निश्चित की गई कोई अन्य घटना।
- (4) जाँच समिति के लिए संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगी, नामतः
- कचूकों ., कमियों की पहचान करें;
 - ख असफलता का मूल कारण .स्थापित करें;
 - ग सीए . घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधार/ उपचारात्मक उपाय सुझाएं.
- (5) जांच समिति एक सप्ताह के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट और गठन के दिन के अंदर बोर्ड को अंतिम रिपोर्ट 30 प्रस्तुत करेगी
- (6) कंपनी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगी और आगे की कार्रवाई इस तरह की जांच समिति की रिपोर्ट का भाग होने के लिए की गई रिपोर्ट को बोर्ड की कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से जांच की गई।
- (19) विनियम में 28.0;
- 1) उप-विनियम 28.1 में,
 - i. खंड (क)में "पूरे मार्गों सहित शब्दों का लोप हो जाएगा। "
 - 2) उप-विनियम 28.3 के लिए
 - i. उप-विनियम 28.3 के (छ) और (ज) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, नामतः: " (छ) नगरपालिका के पानी के टैंकर या किसी अन्य स्रोत से पानी की व्यवस्था की जाए."।
- 20) विनियम 29.0 "सुरक्षा खतरा योजना" और "विविध" विनियम 30.0 क्रमशः और 31.0 के रूप में पुनः 30.0: क्रमांकित किए जाएंगे।
- 21) के रूप में पुनः क्रमांकित विनियम निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, नामतः: "कंपनी द्वारा बम के खतरे सहित सुरक्षा उल्लंघन या खतरे के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी और विभिन्न परिदृश्यों के विरुद्ध वर्ष में न्यूनतम एक बार कृत्रिम ड्रिल की जाएगी।"
- (22) विनियम 31.0 के रूप में पुनः क्रमांकित खंड (1) में " इन विनियमों " से आरंभ होने शब्दों और " अनुमोदन प्राप्त करेगी " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः: "इसके पश्चात गैर-अनुरूपता और शमन उपायों के लिए कम्पनी अपने बोर्ड अनुमोदन प्राप्त करे। कथित अनुपालन रिपोर्ट, शमन उपायों और कार्यान्वयन अनुसूची के साथ उपर्युक्त मंजूरी छह महीने के अंदर बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। "
- (23) अनुसूची-1 में टिप्पणी अंत में "टिप्पणी में, शब्द "संगठनों के निदेशक" शब्दों के साथ आरंभ होने वाले और "प्रस्तुत की जानी चाहिए" के साथ समाप्त होता है को (1) के रूप में गिना जाएगा और उसके पश्चात निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित किया जाएगा: "(2) ईआरडीएमपी दस्तावेज़ की आवधिक समीक्षा को उस प्राधिकरण द्वारा अर्थात् कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसने ईआरडीएमपी दस्तावेज़ को अनुमोदित किया है।"

(24) अनुसूची -III के पैराग्राफ 8 में "तकनीकी सहायता सेवाओं" शब्द "पेशेवर आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ" शब्दों से प्रतिस्थापित होंगे।

(25) अनुसूची IV में;

- i. क्रमांक 5 में "मोबाइल क्रेन", प्रविष्टि के पश्चात "आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन", प्रविष्टि सम्मिलित की जाएगी;
- ii. प्रविष्टि 8 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः: "9. अस्थायी आश्रयों के विवरण"

(26) अनुसूची-VI के घटना की रिपोर्ट भरने के लिए दिशानिर्देशों में "रुपये 5.0 लाख" शब्दों को "रुपये 20 लाख" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(27) अनुसूची-VII के क्रमांक (xii) में "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" शब्द "पाइपलाइन प्रबंधन प्रणाली" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

(28) अनुसूची-VIII में, - "अन्य सुरक्षा मद्दे" शीर्षक के अंतर्गत, क्रमांक 7 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होगा, नामतः :-

- "8. पोर्टेबल गैस संसूचक;
9. विषैले रिसाव/निर्वहन को कवर करने के लिए उपयुक्त प्रकार के संसूचक और अतिरिक्त सेंसर भी;
10. फैल नियंत्रण किट,
11. पोर्टेबल दबाव नापने का यंत्र."

(29) जांच सूची-1 के लिए;

(क) क्रमांक 1 में "खतरे" शब्द के पश्चात "एवं जोखिम" शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) 1) में क्रमांक 1 के "हैज़ोप/हैज़न" शब्द "प्रक्रिया खतरनाक विश्लेषण (पीएचए) अध्ययन" द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।

(ग) क्रमांक 15, 16, 21 और 25 का लोप हो जाएगा;

(30) अनुबंध -1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

"अनुबंध I

सामग्री सुरक्षा डाटा पत्रक हेतु प्रपत्र

भाग 1:पहचान

रासायनिक नाम			
पर्याय		व्यापार नाम	
सूत्र		उत्पाद का पहचानकर्ता	सीएस क्रमांक: यूएन क्रमांक:
पदार्थ या मिश्रण का उपयोग:			
निर्माता का नाम, पता और आपातकालीन दूरभाष नंबर			

भाग 2:खतरे को पहचानना

पदार्थ/मिश्रण का वर्गीकरण (जीएचएस)	
लेबल तत्व	
एकल शब्द	

खतरे का विवरण	
---------------	--

भाग 3: सामग्री की संरचना/जानकारी

खतरनाक घटक (विशिष्ट रासायनिक पहचान), सामान्य नाम	उत्पाद पहचानकर्ता	% (वैकल्पिक)

भाग 4: प्राथमिक उपचार के उपाय

प्राथमिक उपचार के उपायों के विवरण	
सांस लेने के पश्चात प्राथमिक चिकित्सा उपाय	
त्वचा से संपर्क के पश्चात प्राथमिक चिकित्सा उपाय	
नेत्र संपर्क के पश्चात प्राथमिक चिकित्सा उपाय	
अंतर्ग्रहण के पश्चात प्राथमिक चिकित्सा उपाय	
लक्षण या चोट (गंभीर और विलंबित)	

भाग 5: अग्निशमन के उपाय

उपयुक्त शमन माध्यम	
पदार्थ या मिश्रण से उत्पन्न होने वाले विशेष खतरे	
अग्नि संबंधी खतरे	
विस्फोट संबंधी खतरे	
प्रतिक्रिया क्षमता	
अग्निशमन अनुदेश	

भाग 6: दुर्घटना मोचन के उपाय

व्यक्तिगत सावधानियां, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन कार्यविधि:
पर्यावरण सावधानियां (अंतर्वेशन और सफाई की विधि):

भाग 7: हैंडलिंग एवं भंडारण

सुरक्षित हैंडलिंग के लिए सावधानियां

विसंगतियों सहित सुरक्षित भंडारण के लिए शर्तें:

भाग 8: एक्सपोजर नियंत्रण/व्यक्तिगत सुरक्षा

नियंत्रण मापदंड		
एसीजीआईएचटीएलवी-टीडब्ल्यूए (पीपीएम)	ओएचएसएपीईएल टीडब्ल्यू ए (एमजी/एम3)	ओएचएसएपीईएल टीडब्ल्यू ए (पीपीएम)
एक्सपोजर नियंत्रण		
अभियांत्रिक नियंत्रण :		
हस्त सुरक्षा :		
नेत्र सुरक्षा :		
त्वचा एवं शरीर सुरक्षा :		
श्वसन सुरक्षा :		

भाग 9: भौतिकीय/रासायनिक गुण

भौतिक स्थिति		रंग	
कृथनांक बिंदु		हिमांक बिंदु	
वाष्प दाब(एमएमएचजी)		गलनांक वाष्प दाब	
वाष्प घनत्व (वायु=1)		वाष्पीकरण की दर	
जल में घुलनशीलता		प्रतीति एवं गंध	
स्वप्रज्वलन तापमान		विशिष्ट गुरुत्व (एच2ओ=1)	
ज्वलनशीलता		एलईएल:	यूईएल:
ऑक्सीकरण गुण		पीएच	
विस्फोट डाटा : प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता		विस्फोट डाटा: स्थैतिक निर्वहन के प्रति संवेदनशीलता	
खतरनाक ज्वलनशील उत्पाद			

भाग 10: स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता

प्रतिक्रिया क्षमता	
रासायनिक स्थिरता	
खतरनाक प्रतिक्रियाओं की संभावना	
अपूर्ण सामग्री	
खतरनाक अपघटन उत्पाद	

भाग 11: विष विज्ञान संबंधी जानकारी

विषैले प्रभावों पर जानकारी	
----------------------------	--

अनुभाग 12: पारिस्थितिक सूचना

पारिस्थितिक प्रभाव पर सूचना	
-----------------------------	--

भाग 13: निपटान के विचार

अपशिष्ट निपटान के तरीके	
अपशिष्ट अभिक्रिया के तरीके	

भाग 14: परिवहन सूचना

खतरे की श्रेणियाँ	
एनएफपीए खतरा लेबल	
विशेष परिवहन सावधानियाँ	

भाग 15: विनियामक सूचना

राष्ट्रीय विनियम	
अंतर्राष्ट्रीय विनियम	
विनियम	

भाग 16: अन्य सूचना

--

”

(31) अनुबंध-1 के पश्चात निम्नलिखित अनुबंध सम्मिलित किए जाएंगे, नामतः:

"अनुबंध-2**परियोजनाओं या निर्माण के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना**

तेल एवं गैस क्षेत्र में परियोजनाओं को व्यापक रूप से दुर्घटना-संभावित गतिविधियों में से एक के रूप में माना जाता है। यह समझा जाना चाहिए कि परियोजनाओं के आकार और जटिलता के कारण उनमें निर्माण गतिविधियों से जुड़े विभिन्न खतरे और जोखिम होते हैं। अधिकांश मामलों में धीमी प्रतिक्रिया, संसाधनों की कमी, या निर्माण स्थल पर प्रशिक्षित कर्मियों की अनुपस्थिति आपातकालीन स्थिति में अराजकता का कारण बनेगी। इसलिए मानव दुख और वित्तीय हानि को कम करने के लिए परियोजना आरंभ होने से पूर्व आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करने की दृढ़ता से संस्तुति की जाती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में निम्नलिखित विचार सम्मिलित होंगे:

1. सांविधिक आवश्यकताएँ:

कंपनी लागू केंद्रीय और राज्य नियमों और विनियमों और अधिनियमों यथा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991, पेट्रोलियम

अधिनियम, 1934, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995, विस्फोटक अधिनियम, 1884 आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। प्रयोज्यता और अनुपालन की स्थिति को आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का भाग बनाया जाना चाहिए।

2. आपात स्थिति पूर्व योजना बनाना:

क) खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में उत्खनन, मचान, प्लेटफार्म और सीढ़ी, संरचनात्मक कार्य, सुदृढीकरण का बिछाने और कंक्रीटिंग, सड़क का काम, काटना/ वेल्डिंग, सीमित स्थान में कार्य करना, अभेद्यता या दबाव, हाइट्स, हैंडलिंग और भारोत्तोलन उपकरण, वाहन आवागमन, विद्युत, विध्वंस, रेडियोग्राफी, शॉटब्लास्टिंग, पाइप या उपकरण का परिवहन आदि पर कार्य करना जैसी की संपूर्ण समीक्षा निर्माण संभावित ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपात स्थितियों की पहचान करने के लिए सम्मिलित हैं। परीक्षण, ,

ख) परिणाम और संसाधनों के आधार पर साइट (स्तर I और II) और ऑफ-साइट (स्तर III) आपातकालीन परिदृश्यों की सूची बनाना।

3. आपातकालीन शमन उपाय:

निम्नलिखित निर्माण संबंधी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में एक प्रभावी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली होगी, नामतः -

- क) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति;
- ख) ठेकेदार/कार्यकारी एजेंसी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व;
- ग) साइट योजना और लेआउट;
- घ) सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षण की तैनाती;
- ङ) सुरक्षा समिति की बैठक;
- च) सुरक्षा जाँच और निरीक्षण निर्धारित जाँच-सूचियों की सहायता से किए जाएंगे;
- छ) बर्क परमिट प्रणाली;
- ज) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण; और
- झ) सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण आदि।

4. आपातकालीन तैयारी के उपाय:

- क) पहचान किए गए परिदृश्य और उसके मूल्यांकन पर आपातकालीन ड्रिल और कार्रवाई;
- ख) आपातकालीन प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण का आयोजन; और
- ग) पारस्परिक सहायता

5. आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया:

कंपनी त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित और प्रलेखित प्रक्रियाएँ तैयार करेगी। कार्य योजना को सभी आपातकालीन परिदृश्यों, जिन्हें ऑन-साइट और ऑफ-साइट के रूप में पहचाना जाता है, के लिए अभिलेखित किया जा सकता है।

6. आपातकालीन संगठन और उत्तरदायित्व:

कंपनी संगठन चार्ट (आपातकालीन एक्शन फ्लो चार्ट) बनाएगी और परियोजना स्थल पर आपातकालीन स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रमुख कर्मियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगी। आपातकालीन संगठन और उत्तरदायित्वों को विकसित करने के लिए पीएनजीआरबी (ईआरडीएमपी) विनियम के विनियम 14.0 को संदर्भित किया जा सकता है।

7. आपातकालीन नियंत्रण के लिए संसाधन:

- 1) परियोजना या निर्माण स्थल के अंदर उपलब्ध आपातकालीन नियंत्रण प्रणाली और सुविधाएँ निम्नानुसार होंगी, नामतः -
 - (क) अग्नि और गैस संसूचन प्रणाली;
 - (ख) अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन प्रणाली/उपकरण (सक्रिय और निष्क्रिय);
 - (ग) आंतरिक एंबुलेंस की सुविधा, यदि उपलब्ध नहीं है तो कॉल के आधार पर तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए;
 - (घ) बचाव सुविधाएं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई);
 - (ङ) प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं;
 - (च) आंतरिक चिकित्सा सुविधा या समीपस्थ अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र के साथ टाई-अप;
 - (छ) सचेतन प्रणाली के साथ आंतरिक और बाहरी संचार सुविधाएं;
 - (ज) एकत्रित होने के बिंदु;
 - (झ) बचाव मार्ग और निष्क्रमण क्षेत्र।
- 2) पुलिस, अग्नि स्टेशन, अस्पतालों, आपसी सहायता उद्योग, कारखाना निरीक्षकों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) आदि के आंतरिक और बाहरी आपातकालीन संपर्क नंबर और पते।
- 3) पेशेवर आपातकालीन प्रतिक्रिया, तकनीकी सहायता सेवाओं के पते और दूरभाष निर्देशिका।

8. आपातकालीन पुनरोद्धार प्रक्रिया:

आपातकाल के पश्चात, निम्नलिखित गतिविधियों को विस्तार से करने की आवश्यकता है, नामतः:-

- क) सांविधिक प्राधिकारियों को सूचना (पीएनजीआरबी को घटना की रिपोर्टिंग के लिए खंड 23.0 देखें);
- ख) घटना की जांच;
- ग) क्षति का आकलन;
- घ) उत्पादों का निस्तारण, विसंदूषण, सफाई और पुनर्स्थापन; और -

ङ) घटना के पूरे अनुभव के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें पुनर्स्थापन, सीमाएं और प्राप्त हुई शिक्षा सम्मिलित हैं।

अनुबंध 3

विशिष्ट कृत्रिम ड्रिल अभ्यास रिपोर्ट करने का प्रपत्र

1.	कृत्रिम ड्रिल की तारीख और समय		
2.	स्थान		
3.	आपातस्थिति परिदृश्य के विवरण		
4.	आपातकाल का आरंभ/सक्रियता		
5.	कृत्रिम ड्रिल का वर्णन ((स्थिति का वृत्तांत, सभी कार्रवाइयां) जिसमें आपातकालीन टीम और शमन क्रियाओं की प्रतिक्रिया सम्मिलित है		
6.	आपातकालीन टीमों का संदेश और प्रतिक्रिया।		
	घटनाएं	अपेक्षित प्रतिक्रिया का समय	प्रतिक्रिया का वास्तविक समय
क)	प्रारंभ करने के पश्चात		अभ्युक्तियां, यदि कोई हों

	सायरन की सक्रियता			
ख)	सीआईसी की रिपोर्टिंग			
ग)	एसआईसी की रिपोर्टिंग			
घ)	अग्निशमन दल			
ङ)	चिकित्सा दल			
च)	सुरक्षा दल			
छ)	पारस्परिक सहायता			
ज)	ई एंड एम			
झ)	अन्य			
7.	सिर की गणना			
क)	ड्रिल से पूर्व स्थापना में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या	कर्मचारी:	संविदात्मक:	अन्य:
ख)	एकत्र बिंदु (ओं) पर उपलब्ध व्यक्ति			
ग)	ड्रिल के पश्चात सिर गणना का अंतर			
घ)	सिरों की गणना में हुई कमी, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए कृत कार्रवाई			
8.	“स्थिति के स्पष्ट होने का” समय			
9.	कृत्रिम ड्रिल की अवधि (मिनटों में)			
10.	टीका-टिप्पणी (ड्रिल की सकारात्मकताओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं सहित)			
11.	संस्तुतियां			
12	आपातकालीन कार्रवाई पर्यवेक्षक			
	प्रेक्षक का नाम	प्रेक्षण का क्षेत्र		

(स्थल प्रभारी के हस्ताक्षर) ”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./227/2020-21]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 39 (अ), दिनांक 18 जनवरी, 2010 के माध्यम से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007, दिनांक 1 जनवरी, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

F. No PNGRB/Tech/19-ERDMP/(1)/2020.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Amendment Regulations, 2020, namely: -
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)), Regulations 2010:
- (1) In regulation 2,
 - (i) in clause (f), the following shall be substituted, namely: -“disaster” means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.”;
 - (ii) in clause (l), the following shall be substituted, namely: -“incident recording system” means a system containing complete information pertaining to all incidents including near misses.”;
 - (iii) in clause (n), the following shall be substituted, namely: -“leak” means release or discharge of a hazardous chemical(s) or substances or material in any state into the environment.”;
 - (iv) in clause (r), the word, “association” shall be substituted by the word, “group”, and the word, “associations”, shall be substituted by the word, “agreement”;
 - (v) in clause (t), after the words, “in an installation”, the words, “or site”, shall be inserted;
 - (vi) in clause (v), after the words, “place in an installation”, the words, “or site” shall be inserted;
 - (vii) in clause (w), after the words, “within the installation”, and also after the words, “installation premises”, the words, “or sites” shall be inserted;
 - (viii) in clause (z), the word, “quantitative”, shall be omitted;
 - (ix) in clause (aa), for the words, “the risk of emergencies”, the words, “or manage the risk of undesired event”, shall be substituted;
 - (x) in clause (ac), the word, “dangerous”, shall be substituted by the word, “hazardous”.
 - (xi) in clause (ad), before the words, “telephone numbers”, the word, “emergency”, shall be inserted;

(xii) after clause (ae), the following clause shall be inserted, namely:

“(af) “Project In-Charge” means an individual that has ultimate control over the affairs of the project and is duly authorized by the entity.”

(2) In regulation 3,

(i) in clause (c), the following shall be substituted, namely: -

“petroleum and petroleum product pipeline;”

(ii) in clause (d), the following shall be substituted, namely: -

“petroleum storage facilities including POL depot, installations and terminals;”

(iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely -

“(da) Natural gas storage facilities including LNG terminals.”

(iv) for clause (g), the following shall be substituted, namely: -

“retail outlets dispensing like Petroleum, Auto LPG, LNG, CNG and like other retail outlets”

(v) in clause (h), after the words, “petroleum products”, the words, “LNG, CNG etc.”, shall be inserted.

(3) In regulation 4.0,

(1) In sub-regulation 4.1,

(i) for clause (i), the word, ‘emergencies’, shall be substituted by the words “probable emergency scenarios”;

(ii) for clause (ii), the words, ‘the risk or disaster’, shall be substituted by the words “impact on people, assets and environment by bringing it in ALARP level”;

(iii) for clause (iii), the words, ‘that to develop’, shall be substituted by the words “of emergency”;

(iv) for clause (iv), the words, ‘(primary, secondary and tertiary)’, shall be omitted;

(v) for clause (v), the following shall be substituted, namely: -

“the post incident or accident or disaster recovery with aim to restore the affected area to its original conditions to the extent possible.”

(2) For sub-regulation 4.2.,

(i) the paragraph “It is intended to apply these regulations” shall be numbered as (1).

(ii) clauses (a) and (b) shall be substituted by the following, namely:

“(a) to develop a concise and informative ERDMP to enable the entity to mitigate the emergency as quickly as possible;

(b) to prevent escalation of event both on-site and off-site;

(c) to minimize impact on people;

(d) to reduce damage to property, machinery and environment;

(e) to develop a state of readiness for a prompt and orderly response to an emergency and to establish a high order of preparedness (equipment, personnel) commensurate with the risk;

(f) to provide an incident management organogram with clear missions and lines of authority (incident command system, field supervision, unified command);

(g) to ensure an orderly and timely decision-making and response process

(notification, standard operating procedures);

(h) to maintain good public relations;”

(iii) ‘The paragraph in the heading, “Note”, shall be numbered as (2) and in the Paragraph (2) as so numbered for the word, “shall”, the word, “will”, shall be substituted and after the word, “resources”, the word, “preferably”, shall be inserted and after the paragraph so numbered the following shall be inserted, namely:-

“Provided that, in respect of Cross-Country Pipelines, City Gas Distribution Networks, Retails Outlets, Road Transportation, the following methodologies may be adopted with respect to formulation of ERDMP, namely: -

- a. The entity may prepare a single ERDMP document of a Cross Country Pipeline. However, location/installation specific information shall be detailed in the document in accordance with the relevant regulations. Alternatively, entity can make ERDMP document installation/location wise also;
- b. The CGD entity can prepare a single ERDMP document for its Geographical Area. However, specific information and mitigation measures w.r.t CNG Stations, Domestic, Commercial and Industrial supplies shall be detailed in the document in accordance with relevant regulations;
- c. Entities owning Retail outlets (ROs) shall identify various format for its RO like (Like RO with LPG, RO without LPG, RO in Cities, ROs on Highways or combination of two or more or other like devices) and prepare typical ERDMP in accordance with these regulations for implementation across all ROs of same format and ensure compliance. These documents shall be certified by the authorized personnel of the concerned entity; and
- d. For road transportation, entity shall identify the routes, prepare typical ERDMP and share the same with various stakeholders in accordance with the relevant regulations.”

(3) The entity shall formulate Emergency Plan for Constructions or Projects in accordance with the guidelines (Refer Annexure 2), duly approved by Project In-Charge. However, in case of Constructions or Projects in existing installations, the existing ERDMP document should either cover or be modified as per Annexure 2.”

(4) In regulation 8,

- i. for sub-clause (1), after the words, “on-going basis”, the words beginning with, “there shall also be a system of “and ending with the words, “and return gate”, shall be omitted;
- ii. sub-clause (4) shall be omitted;
- iii. after sub-clause (1), the following shall be inserted, namely: -

“(1a) The Board of the concerned entity, within ninety days of the commencement of these regulations shall appoint one of its directors, who shall be responsible for ensuring compliance to these regulations.”;
- iv. for sub-clause (2), the words “Technical Standards and Specifications including Safety Standards”, shall be omitted;
- v. for sub-clause (3), for the words “the provisions of the technical standards, specifications including safety standards”, the words “PNGRB Act, 2006” shall be substituted.

- (5) In regulation 10,
- (1) In sub-regulation 10.1;
- i. in clause (1)(d), before the words “check points”, the word “refer”, shall be inserted;
- (2) In sub-regulation 10.2,
- i. the words beginning with, “The second step”, and ending with the words, “associated with each hazard”, the following shall be substituted, namely: -
“The second step is to determine the risk of an incident associated with each hazard. The risk analysis may be used to identify the high risk of scenarios to prioritize the emergency response plans. The risk analysis would also aid in identifying the existing safeguards in place to prevent and mitigate the hazardous event and in reducing the risk as low as reasonably practicable.”
- ii. in clause (d), the word “hazards”, shall be substituted by the word, “risks” and the word, “fashion”, shall be substituted by the word, “manner” and the words beginning with “criteria should then” and ending with “all parties concerned” shall be omitted;
- iii. clause (e) shall be omitted;
- iv. in clause (f), the words “involves three major steps: -”, shall be substituted by the words “should be categorized in three regions as below:”
- (3) In sub-regulation 10.3,
- i. in the Column heading, “Natural Calamities”, after the word, “Tsunami”, the word, “Pandemic”, shall be inserted;
- ii. in the Column heading, “Extraneous”, after the word, “Food Poisoning/ Water Poisoning”, the following words shall be inserted, namely:
“Drone Attack;
Cyber Attack.”
- (4) In sub-regulation 10.4,
- (6) In clause (2), for the letters “UVCE”, the letter, “VCE, toxic release, Boil Over etc. shall be substituted.” In Regulation 11,
- (1) in sub-regulation 11.2,
- (i) after the words, “and appliances,”, the words “temporary shelters”, shall be inserted;
- (2) in sub-regulation 11.3,
- (a) the heading, “Incident preventing measures and procedures”, shall be substituted by the heading, “Health, Safety and Environment Management”;
- (b) the words starting with “The incident preventions” and ending with the words, “shall include the following”, shall be substituted by the following, namely: -
“The entity shall have an effective Health, Safety and Environment Management System in place to ensure safety during operation and emergencies and this shall include the following, namely: -”;
- (c) in clause (ii), the brackets and the words therein, shall be omitted;
- (d) in clause (iii), the words “Union leaders and”, shall be omitted;
- (e) in clause (v), the brackets and the words therein, shall be omitted;
- (f) in clause (vi), the words, “heat detection”, shall be substituted by the words “heat/smoke detection” and after the words, “filing stations”, the word, “and”, shall be inserted and the words, “and along with periphery”, shall be omitted;

- (g) in clause (viii), the words “and HSE Management system;”, shall be omitted;
- (h) in clause (ix), shall be substituted by the following, namely: -“Visitor safety briefing including, do’s and don’ts in case of emergency including assembly points and escape routes and like other points and routes”

(7) In regulation 12.0,

(1) In sub-regulation 12.1,

i. in clause (b),

- (a) after the words, “Limited scale”, the word “functional” shall be inserted;
- (b) the word, “should”, placed after the words, “are useful and”, shall be substituted by the word, “may”; and
- (c) the word, “his”, shall be substituted by the word, “their”;

ii. in clause (d), the words ‘companies’, shall be substituted by “services” and the words ‘groups’, shall be substituted by “member or groups”;

iii. clause (e), shall be substituted by the following, namely: -

“Mock drill for On site (Level –I or II) and Off site (Level-III) emergency shall be carried once in three months and twelve months respectively in accordance with Typical Mock Drill Reporting format provided in Annexure -3. Entity shall conduct at least one On site emergency exercise of Level-II during a year.”;

iv. clause (f), shall be substituted by the following, namely: -

“it is the responsibility of the concerned District Authority to prepare and keep up-to-date an adequate off-site emergency plan detailing as to how emergencies relating to a possible major accident on the site will be dealt with, as per prevailing provisions of Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical (MSIHC) Rules,1989 and Disaster Management (DM) Act, 2005, accordingly, entity shall submit the details to the concerned District Authority to conduct the off-site mock drill.

For locations having more than one industry member, the Off-site emergency exercise may be carried out by one industry member by turn in coordination with the concerned District Authority, thus ensuring at least one off-site emergency (Level-III) exercise is conducted at the location every year”;

v. in clause (h), at the end the following shall be inserted, namely: -

“Accordingly, time bound action plan to be prepared for rectifications.”

vi. in clause (i), the following shall be inserted at the end, namely:-

“Typical Mock Drill Reporting Format is given at Annexure-3”

(2) In sub-regulation 12.2,

- i. in clause 2 (i), after the word “Training”, the words “on Emergency Preparedness and Response” shall be inserted;
- ii. in clause 2 (ii), for the words “and passing safety training”, the following shall be substituted namely:-

“valid safety training prior to the deployment at site and refresher trainings shall also be imparted to contract personnel and labourer periodically”.

(3) In sub-regulation 12.3,

- i. The words beginning with “Since combating major” and ending with the words, “mutual aid arrangements”, the following shall be substituted, namely: -
- “Since combating major emergencies might be beyond the capability of

individual unit/ facility/ entity /site, it is essential to have mutual aid agreement with neighboring industries. Consideration shall be given to the following while preparing mutual aid agreements:-”;

- ii. in clause (a), after the word “Level-II” the words “and Level-III” shall be inserted.
- (8) In regulation 13.0, the clause (a) (iii), shall be omitted;
- (9) In regulation 14.0,
- i. for clause (1), the word, “organization”, shall be substituted by the words, “personnel or group”, and for the words, “with succession planning and”, the word, “for” shall be substituted;
 - ii. for clause (2)(a), the following shall be substituted, namely:
“to promptly act before, after and during the incident.”
 - iii. for clause (2)(e), for the word “function”, the word “role”, shall be substituted;
- (10) In sub-regulation 14.2,
- (1) The heading, “Roles and Responsibilities”, shall be substituted by the heading, “Typical Roles and Responsibilities”;
 - (2) in sub-regulation 14.2.1,
 - i. after the words, “shall include”, the words, “but not limited to”, shall be inserted;
 - ii. in clause (e), at the end, the words “in consultation with SIC.”, shall be inserted;
 - (3) in sub-regulation 14.2.2,
 - i. for the word, “Chief”, the word, “Site”, shall be substituted and after the words “shall include”, the words, “but not limited to”, shall be inserted.;
 - ii. in clause (b), the words “capable of making”, shall be substituted by the words “empowered of taking” and the word “taking” shall be substituted by the word “take”;
 - iii. in clause (d), before the word, “SIC”, the words, “CIC or”, shall be inserted, for the words “are notified”, the words “for notification”, shall be substituted and after the words, “from the CIC”, the words, “if applicable”, shall be inserted;
 - iv. in clause (e), the word “He”, shall be substituted by the word “SIC”,
 - v. after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:
“(h) The SIC shall ensure that all personnel of emergency response team are trained for assigned roles during emergency.”
 - (4) in sub-regulation 14.2.3,
 - i. the word “controller” shall be substituted by the word “coordinator”;
 - ii. for clause (b), the following shall be substituted, namely: -
“to direct on arrival of external agencies to SIC.”;
 - (5) In sub-regulation 14.2.4;
 - i. in clause (e), the words “direct the”, shall be substituted by the words “guide the external”;
 - ii. clause (f) shall be omitted;
 - iii. in clause (g), the word “outside”, shall be substituted by the word “external”;
 - iv. clause (i) shall be omitted ;
 - v. in clause (j), the word “trucks”, shall be substituted by the word “vehicles”;
 - vi. in clause (l), the word “hydrant”, shall be substituted by the words “fire water”.

- vii. after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:
 “(m) to advise CIC on mobilization of mutual aid and to arrange requirement of additional firefighting resources including help from mutual aid members.”;
- (6) In sub-regulation 14.2.5.7 (a),
- i. in the heading, for the word “ERDMP” shall be substituted by the word “Incident”;
 - ii. the words starting with ‘There shall be’ and ending with, “Level-III.”, shall be substituted by the following, namely:
 “There shall be a system to maintain the records for of all kind of incidents or emergencies including near miss.”;
 - iii. for the words, “Record Register”, the words, “Recording System”, shall be substituted;
 - iv. in the Note, after the words, “during an”, the word, “off-site”, shall be inserted.
- (7) In sub-regulation 14.2.5.8, for clause 2 (c) the words “Control room” shall be omitted;
- (8) In sub-regulation 14.2.5.9,
- (a) clause 2 (a) and (b), shall be substituted by the following, namely:
 “(a) Emergency Level I – The siren code for Level I shall be decided by entity depending upon the size and complexity of installation;
 - (b) Emergency Level II - A wailing siren for two minutes; and
 - (c) Emergency Level III- Same type of siren as incase of Level-II but the same will be sounded for three times at the interval of one minutes i.e. (waiting siren 2min + gap 1min + siren 2min +gap 1min +waiting siren 2min) total duration of disaster siren to be eight minutes.”;
- (11) In regulation 15.0,
- (1) In sub-regulation 15.1;
 - i. In clause 2 (g), the words “emergency lights”, shall be substituted by the words “emergency power back up and emergency light with DC source”;
 - (2) In sub-regulation 15.2;
 - i. In clause (1), the words “quantitative risk assessment”, shall be substituted by the words “consequence analysis of the major scenarios”;
- (12) In regulation 16.0,
- i. in clause (2), for the words “the security”, the words, “when no operating personnel are present, the security or other trained”, shall be substituted and after the word “controllers”, the words, “ or coordinators”, shall be inserted;
 - ii. in clause (3), the word “emergency”, shall be substituted by the word “situation” and for the word, “plant premises”, the words, “an installation or site”, shall be substituted.
- (13) In regulation 17.0,
- i. in clause (2) (b), after the words “fire protection”, the words “and fire-fighting” shall be inserted;
 - ii. clause (2)(c), shall be omitted;
 - iii. in Clause (2)(f), the words beginning with, “first aid and medical”, and ending with, “first aid room”, the following shall be substituted, namely:
 “first aid facilities, in house medical facilities, or a tie-up with nearby hospital or health center.”;
- (14) In regulation 18.0,

- i. In point (a), the words “5 km radius”, shall be substituted by the words, “2 km radius or as per consequences analysis, whichever is higher”;
 - ii. after point (c), the following shall be inserted, namely:
“(c1) neighboring industries, installations, pipelines etc.”
- (15) In regulation 20.0, clause (3), shall be substituted by the following, namely: -
“Vehicle with Public Address System or Portable PA system or Mega Phone as per requirement of the installation should be available for announcement in case of emergency”.
- (16) In regulation 21.0, clause (2), the word beginning with, “For the purpose” and ending with, “Crisis management group”, shall be omitted and the word “carrying” shall be substituted by the words “containing”.
- (17) In regulation 23.0,
 - i. For clause (1), the following shall be substituted, namely; -
“1) All incidents covered under Minor Incident and Near Misses should be maintained by the entity for inspection in the format as specified in Schedule-VI. ‘Major’ Incident shall be reported to the PNGRB in the format specified and placed at Schedule-VI. The above report should be submitted within 48 hours after occurrence of the incidents. However, First Information Report (FIR) on ‘Major’ Incident shall be intimated to PNGRB through telephone, email or SMS immediately or but not later than 4 hours of occurrence.”
 - ii. In clause 2),
 - (a) the words beginning with, “investigation report”, and ending with the words, “the Board”, shall be omitted;
 - (b) in point (d), the words “Rs. 10.0 Lac”, shall be substituted by “Rs. 20.0 Lac”;
 - (c) point (g), shall be omitted;
 - iii. After clause 2), the following clauses shall be inserted, namely:
 - “3) Detailed investigation report of all ‘Major’ incidents shall be submitted to the Board within 30 days of occurrence along with time bound mitigation plan of recommendations, made during the investigation. In case, any incident subsequently leads to fatality, assessed loss of above Rs. 20 Lac and cumulative man hours lost more than 500 hours. Such incidents shall also be reported as major incidents immediately in prescribed format as placed in schedule-VI.
 - (4) Quarterly report consisting Summary of Major (including detailed Investigation Report) and Minor incidents and Near Misses (only numbers.) shall be sent to the Board within 30 days of the end of every quarter.”
- (18) In regulation 24.0,
 - (a) The words beginning with, “After reporting of incident”, and ending with, “normalization of the situation”, shall be numbered as Clause (1) thereof;
 - (b) After clause (1) as numbered, the following clauses shall be inserted, namely: -
“(2) All Major Incidents shall be investigated by the entity through an enquiry committee comprising experts not directly associated with the incident to identify the lapses, shortcomings, establish the causes which establishes the failure and suggest remedial measures to prevent the recurrence of such incident etc. and submit its report to the Board within 30 days of the incident.

- (3) Following incidents shall also be investigated by such an enquiry committee constituted by the Board, namely: -
- a. Explosion or blast;
 - b. Fires involving fatality or major fires;
 - c. Pipeline leakages in petroleum, petroleum product or natural gas pipelines as decided by the Board; and
 - d. Any other incident as decided by the Board.
- (4) Terms of reference for the enquiry committee shall include the following, namely:
- a. identify the lapses, shortcomings;
 - b. establish the root cause of failure;
 - c. suggest improvements or remedial measures to prevent the recurrence of such incidents.
- (5) Such enquiry committee shall submit the preliminary report within a week and thereafter, the final report to the Board within 30 days of constitution.
- (6) The entity shall take necessary measures to prevent the recurrence of such incidents, and forward the action taken report to be the part of the report of such enquiry committee duly vetted by the board of Directors of the entity of the Board.”
- (19) In regulation 28.0;
- (1) In sub-regulation 28.1,
 - i. in clause (a), the words “all along the routes”, shall be omitted;
 - (2) in sub-regulation 28.3,
 - i. clause (g) and (h) of sub-regulation 28.3.1, shall be substituted by the following, namely;

“(g) arrange water through municipal water tanker or any other source.”.
- (20) Regulation 29.0, “Security Threat Plan” and Regulation 30.0, “Miscellaneous”, shall be re-numbered as 30.0 and 31.0 respectively.
- (21) Regulation 30.0 as re-numbered, shall be substituted by the following, namely:
- “A detailed action plan on security breach or threat including bomb threat shall be prepared by entity and mock drill shall be carried out against various scenarios, at least once in a year”.
- (22) In clause (1) of regulation 31.0 as renumbered, the words beginning with “seek approval” and ending with, “these regulations.”, shall be substituted by the following, namely:
- “thereafter take approval from Board of the entity for non-conformities and mitigation measures. The said approval along with the compliance report, mitigation measures and implementation schedule shall be submitted to the Board within six months.”
- (23) in Schedule-I, at the end of the Note, the words beginning with, “A Copy of ERDMP”, and ending with, “submitted to the PNGRB”, shall be numbered as (1) and after point (1) as so numbered, following point shall be inserted, namely:
- “(2) The periodical review of ERDMP document shall be approved by the authority which has approved the ERDMP document i.e. entity's Board of Directors.”
- (24) In paragraph 8 of Schedule-III, for the words “Technical Support Services”, the words “Professional Emergency Responders,”, shall be substituted.
- (25) In Schedule IV;

- i. in Sl. No. 5, after the entry, “Mobile Cranes”, the entry, “Emergency Response Vehicle”, shall be inserted;
- ii. after the entry 8, the following entry shall be inserted, namely:
“9. Details of temporary shelters”.
- (26) In Guidelines for filling the Incident Report of Schedule-VI, the words “Rs. 5.0 Lac”, shall be substituted by the words “Rs. 20 Lac.”
- (27) In Sl.no. (xii) of Schedule -VII, the word “safety management system”, shall be substituted by the word “pipeline management system”.
- (28) In Schedule-VIII, under the heading, “Other safety Items”, after Sl. No.7, the following shall be inserted, namely: -
“8. Portable gas detector;
9. Appropriate type of detector and spare sensors to cover toxic leaks/ releases also;
10. Spill control kit;
11. Portable pressure gauge.”
- (29) For Checklist-1;
(a) in Sr. No.1, after the word “hazard”, the word “& risk”, shall be inserted.
(b) in 1) of Sr. No. 1, the words, “HAZOP/HAZAN”, shall be substituted by “Process Hazard Analysis (PHA) Study”.
(c) Sr. No. 15, 16, 21 and 25, shall be omitted;
- (30) Annexure-1, shall be substituted by the following, namely:

“Annexure I**Format for Material Safety Data Sheet****Section 1: Identification**

Chemical Name			
Synonyms		Trade Name	
Formula		Product Identifier	CAS No: UN. No:
Use of Substance or Mixture:			
Manufacturer’s Name, Address & Emergency Telephone Number			

Section 2: Hazard Identification

Classification of Substance/Mixture (GHS)	
Label Elements	
Single Word	
Hazard Statement	

Section 3: Composition/Information of Ingredients

Hazardous Component (Specific Chemical Identity, Common Names)	Product Identifier	% (Optional)

Section 4: First Aid Measures

Description of First Aid Measures	
First Aid Measures after Inhalation	
First Aid Measures after Skin Contact	
First Aid Measures after Eye Contact	
First Aid Measures after Ingestion	
Symptoms or Injuries (Acute and Delayed)	

Section 5: Fire Fighting Measures

Suitable Extinguishing Media	
Special Hazards arising from Substance or Mixture	
Fire Hazard	
Explosion Hazard	
Reactivity	
Fire Fighting Instructions	

Section 6: Accidental Release Measures

Personal Precautions, Personal Protective Equipment and Emergency Procedures:
Environment Precautions (Method of Containment and Clean up):

Section 7: Handling and Storage

Precautions for Safe Handling:
Conditions for Safe Storage including incompatibilities:

Section 8: Exposure Controls/Personal Protections

Control Parameters		
ACGIH TLV-TWA (ppm)	OHSA PEL TWA (mg/m ³)	OHSA PEL TWA (ppm)
Exposure Control		
Engineering Controls:		

Hand Protection:	
Eye Protection:	
Skin and Body Protection:	
Respiratory Protection:	

Section 9: Physical/Chemical Characteristics

Physical State		Colour	
Boiling Point		Freezing Point	
Vapor Pressure (mm Hg)		Melting Point	
Vapor Density (Air=1)		Evaporation Rate	
Solubility in Water		Appearance and Odor	
Auto Ignition Temperature		Specific Gravity (H ₂ O=1)	
Flammability		LEL:	UEL:
Oxidising Properties		PH	
Explosion Data : Sensitivity to Impact		Explosion Data: Sensitivity to Static Discharge	
Hazardous Combustion Products			

Section 10: Stability and Reactivity

Reactivity	
Chemical Stability	
Possibility of Hazardous Reactions	
Incompatible Materials	
Hazardous Decomposition Products	

Section 11: Toxicological Information

Information on Toxicological Effects	
--------------------------------------	--

Section 12: Ecological Information

Information on Ecological Effects	
-----------------------------------	--

Section 13: Disposal Considerations

Waste Disposal Methods	
Waste Treatment Methods	

Section 14: Transport Information

Hazard Classes	
NFPA Hazard Label	

Special Transport Precautions	
-------------------------------	--

Section 15: Regulatory Information

National Regulations	
International Regulations	

Section 16: Other Information

--

(31) After Annexure-1, the following annexures shall be inserted, namely:

“Annexure-2

Emergency Response Plan during Projects or Construction

Projects in Oil and Gas Sector is widely recognized as one of the accident-prone activities. It should be understood that the size and complexity of projects possess the various hazards and risks associated with construction activities. In majority, slow response, lack of resources, or the absence of trained personnel at construction site will lead to chaos in an emergency. To minimize human suffering and financial losses, it is therefore strongly recommended to develop the emergency response plan before commencement of project.

The Emergency Response Plan shall include the following considerations:

1. Statutory Requirements:

The entity shall ensure compliance of applicable Central and State Rules and Regulations and enactments such as The Building and Other Construction Workers’ Act 1996, the Environment (Protection) Act, 1986, the Factories Act, 1948, the Inflammable Substances Act, 1952, the Motor Vehicles Act, 1988, the Public Liability Insurance Act, 1991, the Petroleum Act, 1934, the National Environment Tribunal Act, 1995, the Explosives Act, 1884 etc. Applicability and status of compliance should be made part of Emergency Response Plan.

2. Pre-Emergency Planning:

- The process of hazard identification and risk assessment involves a thorough review of construction activities such as Excavation, Scaffolding, Platforms and Ladders, Structural Work, Laying of Reinforcement and Concreting, Road Work, Cutting or Welding, Working in Confined Space, Proof or Pressure Testing, Working at Heights, Handling and Lifting Equipment, Vehicle Movement, Electrical, Demolition, Radiography, Shot blasting, transportation of pipes or equipment etc. to identify potential On-Site and Off-Site emergencies.
- Listing out On-Site (Level I and II) and Off-Site (Level-III) Emergency Scenarios based on the consequences and resources.

3. Emergency Mitigation Measures:

The entity shall have an effective Health, Safety and Environment Management System in place to ensure safety during the following construction activities, namely: -

- Health, Safety and Environment (HSE) Policy;
- Duties & Responsibilities of Contractor/Executing Agency;
- Site planning and layout;
- Deployment of Safety Officer/Supervision;
- Safety committees with fair participation of workers;
- Safety audits and inspections shall be carried out with the help of prescribed checklists;

- g) Work permit system;
- h) Personal protective equipment; and
- i) Safety awareness and training etc.

4. Emergency Preparedness Measures:

- a) Emergency Drill and Exercise on identified scenarios and its evaluations;
- b) Organizing trainings on Emergency Response; and
- c) Mutual Aid.

5. Emergency Response Procedures:

The entity shall prepare well planned and documented procedures to ensure prompt response. The action plan may be documented for all emergency scenarios, identified as On-site and Off-site.

6. Emergency Organization and Responsibilities:

The entity shall formulate organization chart (emergency action flow chart) and define the roles and responsibilities of key personnel for handling the emergency situation effectively at project site. Regulation 14.0 of PNGRB (ERDMP) Regulations, may be referred to develop the emergency organization and responsibilities.

7. Resources for Controlling Emergency:

- 1) The available emergency control systems and facilities within the project or construction site shall be as under, namely: -
 - (a) Fire and gas detection system;
 - (b) Fire protection and firefighting system (Active and Passive);
 - (c) Ambulance facility in house, if not available then should be available on urgent call basis;
 - (d) Rescue facilities and personal protective equipment (PPEs);
 - (e) First aid facilities;
 - (f) Medical facility in house or tie up with nearby hospital/health center;
 - (g) Internal and External Communication facilities along with alerting system;
 - (h) Assembly points; and
 - (i) Escape route and evacuation zones.
- 2) Internal and External Emergency contact numbers and addresses of police, fire, station, hospitals, mutual aid industry, factory inspectors, Board, State Pollution, Control Board, Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO), etc.
- 3) Addresses and Telephone Directory of Professional Emergency Responders, Technical Support Services.

8. Emergency Recovery Procedure:

After the emergency, the following activities need to be carried out in detail, namely:

- a) Information to statutory authorities (Refer Clause 23.0 for Reporting of Incident to PNGRB);
- b) Incident investigation;
- c) Damage assessment;
- d) Salvage of products, de-contamination, clean-up and restoration; and
- e) A detailed report shall be prepared based on the entire experience of the incident, including restorations, limitations and lessons learnt.

Typical Mock Drill Reporting Format

1.	Date and Time of Mock Drill			
2.	Location			
3.	Details of Emergency Scenario			
4.	Details of initiation/activation of emergency			
5.	Description of the Mock drill (the narrative of the situation, all actions) including response of emergency team and mitigation actions			
6.	Communication and Response of Emergency teams			
	Events	Expected Response time	Actual Response time	Remarks, if any
a)	Siren activation after initiation			
b)	Reporting of CIC			
c)	Reporting of SIC			
d)	Fire team			
e)	Medical team			
f)	Security Team			
g)	Mutual Aid			
h)	E&M			
i)	others			
7.	Head Count			
a)	Total persons present in the installation before the drill	Employees: Contractual: Others:		
b)	Total persons available at Assembly point(s)			
c)	Difference of head count after drill			
d)	Action taken to search the shortfall of head counts, if any			
8.	Time of 'All Clear'			
9.	Duration of Mock Drill (in Minutes)			
10.	Observations (including highlight the positives of the drill)			
11.	Recommendations			
12.	Emergency Exercise Observers			
	Name of the observer		Area of Observation	

(Signature of Location In-Charge)”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./227/2020-21]

Footnote : Principal regulations were notified in the official gazette *vide* G.S.R. 39(E), dated 18th January, 2010 and subsequently amended *vide* F. No. L-MISC/VI/1/2007, dated 1st January, 2015.